



इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ , छत्तीसगढ़

क्रमांक: 4100/इ.क.स.वि./2022/सा.प्र.वि

खैरागढ़, दिनांक 10.11.2022

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (संशोधित अधिनियम 2021) की धारा 28(3)(b) में निहित प्रावधान अनुसार माननीया कुलाधिपति, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा प्रो.डॉ. काशी नाथ तिवारी, विभागाध्यक्ष - आजीवन शिक्षा विभाग को राजभवन से जारी पत्र क्रमांक एफ.18-4/2012/रास/यू.-4 दिनांक 10/11/2022 के अनुसार दो वर्षों की अवधि के लिए अधिष्ठाता कला संकाय नियुक्त किया गया है।

आदेशानुसार,

(प्रो.आई.डी.तिवारी)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 4101 /इ.क.स.वि./2022/सा.प्र.वि खैरागढ़, दिनांक 10.11.2022 प्रतिलिपि:

1. माननीया कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदया के सचिव, राजभवन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रो. काशी नाथ तिवारी, विभागाध्यक्ष - आजीवन शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. विश्वविद्यालयीन कार्यकारिणी समिति के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनाथ सम्प्रेषित।
4. विश्वविद्यालयीन शिक्षा समिति के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनाथ सम्प्रेषित।
5. समस्त अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्षगण एवं विभागप्रमुखों की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. प्रभारी, कुलपति सचिवालय।
7. कुलसचिव कार्यालय।
8. निर्देशक आई.क्यू.ए.सी।
9. जन सम्पर्क अधिकारी एवं वेबसाईट www.iksv.ac.in

(प्रो.आई.डी.तिवारी)

कुलसचिव